उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग
संख्याः 878/V/आ0–2207–26(न0वि0)/2001
देहरादूनः दिनांकः 30 अप्रैल, 2007

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः 3404/V/आ0–2206–26(न0वि0)/2001, दिनांकः 7–12–2006 को अतिक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 की धारा–15 (क)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के समक्ष प्रस्तुत वाद/अपील/निगरानी एवं विधिक मामलों में सुनवाई हेतु डा0एम0सी0जोशी, अपर सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अधिकृत किया जाता है। साथ ही उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम,1973 (यथासंशोधित) की धारा 41 (3), उत्तर प्रदेश विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम,1986 (यथा संशोधित) की धारा 38(3) तथा अन्य विभिन्न विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत शासन को प्रस्तुत अपील/निगरानी एवं विधिक मामलों में सुनवाई हेतु भी डा0एम0सी0जोशी को राज्य सरकार की ओर से निस्तारण करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

2– श्री जोशी को निर्देशित किया जाता है कि वे राज्य सरकार में आवास विभाग के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न विधिक प्रकरणों में सुनवाई के पश्चात यथाआवश्ययकता स्थगनादेश एवं अंतिम आदेश पारित करेगें।

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव

संख्याः 878(1)/V/आ0–2207–26(न0वि0)/2001/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2– उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल।
3– अपर सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल/देहरादून/गंगोत्री।
5– वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
6– संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि वे उत्तराखण्ड के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड बुक।
9– डा. एम. सी. जोशी, अपर सचिव, आवास।

आज्ञा से

(एस0के0पंत)
अनुसचिव

D:\Noteshee\2.doc